संख्या-4/2017-3554/58-2016-67/2015

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांक 10 जनवरी, 2017**

विषयः- **अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2016-17 में "राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन" योजनान्तर्गत पूंजीगत पक्ष में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि को जनपद बस्ती में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर फ्रुटस की स्थापना के निमित्त आगणनों की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2016/बजट-आयोजनागत/2016-17 दिनांक-16-12-2016 एवं पत्र संख्या-219/ बजट-आयोजनागत/2016-17, दिनांक-22-12-16 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2016-17 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में केन्द्र पोषित चालू योजना राज्य औद्यानिक मिशन योजनान्तर्गत पूंजीगत पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि रू0-9600 हजार (रूपये-छियानबे लाख मात्र) तथा 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0-6400 हजार (रूपये-चौसठ लाख मात्र) अर्थात कुल रु0-16000 हजार (रूपये एक करोड़ साठ लाख मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अधोलिखित विवरण के अनुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनुदान सं0-10 **(धनराशि हजार रूपये में)**

लेखाशीर्षक/मद का नाम	**आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि**
1	2	3
पूंजी लेखा: 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत- 119-बागवानी तथा बनस्पति की फसलें- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- 0101-राज्य औद्यानिक मिशन योजना (के060/रा040 के + रा) 24-बृहत निर्माण कार्य	55000	16000
योग	55000	16000

(रूपये एक करोड़ साठ लाख मात्र)

1- केन्द्रीय योजनाओं को ट्रेजरी के माध्यम से चलाये जाने के निर्णय के फलस्वरूप संदर्भित योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा संशोधित नवीन पैटर्न के अनुसार केन्द्रांश व राज्यांश के क्रमशः 60:40 प्रतिशत के अनुपात में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में धनराशि व्यय की जायेगी। अतएव भारत सरकार से कार्ययोजना के अनुमोदन तथा केन्द्रांश की धनराशि की स्वीकृति निर्गत हो जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार आहरण की कार्यवाही की जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- प्रस्तर-1 में दी गयी शर्त के अनुसार नियमानुसार केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि का व्यय, राज्य औद्यानिक मिशन योजनान्तर्गत भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य औद्यानिक मिशन/जिला औद्यानिक मिशन नियमावली में निहित प्राविधानों के तहत किया जायेगा एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22-3-2016 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का व्यय जनपदवार भारत सरकार से स्वीकृत परिव्यय/योजना के अनुसार निर्धारित नवीन फन्डिंग पैटर्न के अनुरूप ही किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

4- धनराशि का आहरण भूमि की उपलब्धता की स्थिति में ही किया जायेगा।

5- जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6- अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

7- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

8- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व वित्त नियंत्रक इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय।

9- भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10- यदि विभाग द्वारा भारत सरकार/शासन द्वारा निर्धारित शर्तों का विचलन किया जाता है, तो उसके लिए निदेशक, मिशन/उद्यान तथा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, उद्यान तथा वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग सीधे उत्तरदायी होंगे।

11- प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता रिपोर्ट पूर्ण विवरण सहित प्रत्येक माह के 10 तरीख तक शासन को अवश्य ही उपलब्ध करायी जाय।

12- निदेशक, उद्यान यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उक्त वित्तीय स्वीकृति में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा।

13- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या-10 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत व्यय-आयोजनागत-119 बागवानी एवं वनस्पति की फसलें-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-राज्य औद्यानिक मिशन योजना-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

14- उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी0-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक-26-8-2014 एवं शासनादेश सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक-22-3-2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

15- शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/वित्त नियन्त्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियन्त्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

भवदीय,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:4/2017-3554(1)/58-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, जनपद-बस्ती।
(5) उप निदेशक उद्यान, बस्ती मण्डल बस्ती।
(6) जिला उद्यान अधिकारी, बस्ती।
(7) मुख्य कोषाधिकारी, बस्ती ।
(8) अधिशासी अभियन्ता**,** ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, जनपद-बस्ती।
(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(10) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in